न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–44 / 2023

1. फतेहचन्द पुत्र हुकमचन्द जाति कुम्हार निवासी 10 केएलडी बी खाजूवाला

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला वगैरह

.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 12.06.23

–: आदेश:–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी को भूमिहीन आवंटन चक 10 केएलडी बी के मु0नं0 219 / 20 कुल 25.00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रार्थी के चिपते ही मु0नं0 219 / 21 रामपालसिंह पुत्र हरबंश कौर पत्नी हरदेवसिंह की भूमि आवंटन है। रामपाल द्वारा प्रार्थी की कुछ भूमि पर कब्जा कर रखा है। बार–बार कहने पर अप्रार्थी ने सीमाज्ञान का कहा। प्रार्थी ने दिनांक 27.06.2018 को नियमानुसार पटवारी, मौजीज व्यक्ति व तात्कालीन सरपंच रवीना भादू के प्रतिनिधि के समक्ष सीमाज्ञान करवा दिया। प्रार्थी की भूमि 20–20 फीट प्रत्येक किला में दबी हुई थी। प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाकर पिल्लर भी बना दिये अप्रार्थी द्वारा तारबंदी हटाने का आश्वासन दे दिया। मौके फर्द पर रामपाल ने हस्ताक्षर भी कर दिये। अप्रार्थी द्वारा बार–बार कहने पर तारबंदी नहीं हटाई गई। इस विषय की सूचना प्रशासन को भी दी लेकिन कोई कार्यवही नहीं हुई। दिनांक 19.9.22 को प्रार्थी घरेलु कार्य से पुश्तैनी गांव चला गया पिदे से अप्रार्थी ने 20 फीट जगह पर नाका भी बना दिया प्रार्थी ने अप्रार्थी को ओलम्भा दिया तो मारपीट व लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया। प्रार्थी कमजोर वर्ग का अकेला परिवार है। अप्रार्थी डराने, धमकाने व जान से मारने पर उतारू हो जाते है कि कब्जा नहीं छोडेगें। हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सीमाज्ञान द्वारा निकाली हुई भूमि जहां पिल्लर लगे हुए है तक प्रार्थी को भूमि पुलिस प्रशासन की मौजुदगी में छुड़वाकर दने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी गैरहाजिर होने के कारण एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट अनुसार चक 10 केएलडी बी मु0नं0 219/20 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 कृषि भूमि फतेहचन्द पुत्र हुकुमचन्द जाति कुम्हार सा. राजलदेसर खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 27.6.18 को किए गए सीमाज्ञान के अनुसार कब्जा लेना चाहता है चूंकि सीमाज्ञान हुए काफी वर्ष हो गए है। अतः मौके पर सीमाज्ञान के पुख्ता निशान मौजूद नहीं है। उक्त संदर्भ में पुनः सीमाज्ञान कर आगामी कार्यवाही की जानी संभव होगी। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से चक 10 केएलडी बी मु0नं0 219/20 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह चक 10 केएलडी बी मु0नं0 219/20 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)